अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. रामकिशोर पुत्र रामसहाय
   जाति हरि. ब्राहमण निवासी
   महाराजपुरा तह. बस्सी।

बनाम

1. लालाराम पुत्र रामसहाय
   जाति हरि. ब्राहमण निवासी
   महाराजपुरा तह. बस्सी।
2. तहसीलदार बस्सी
3. ग्राम पंचायत कचोलिया
4. उपपंजीयक बस्सी

प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 72/16 निर्णय दिनांक 18.01.2018

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। वकील पक्षकारान की पूर्व में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार हैः– वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 की शामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि ख.नं. 162 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा, 133 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 138 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम महाराजपुरा तहसील बस्सी में स्थित चली आ रही है। आराजी उपरोक्त प्रार्थी के ताउ सोन्या उर्फ सोहनलाल के कब्जे व खातेदारी की भूमि रही है। सोन्या सन् 1979 में लाऔलाद फौत हुआ है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ही सोन्या की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के मालिक व स्वामी है तथा काबिज रह काश्त करते चले आ रहे है। भूमि उरोक्त वर्णित में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी आपस में सगे भाई है तथा सोन्या की भूमि के बतौर वारिस मालिक हुए है। सोन्या ने कभी भी अप्रार्थी सं. 1 को गोद नहीं लिया न ही कोई गोदनामा ही अप्रार्थी सं. 1 के नाम तस्दीक हुआ है। जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 सोन्या की उपरोक्त वर्णित भूमि पर हिस्सा 1/2 अर्थात आधी–आधी भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है परन्तु अप्रार्थी ने एक फर्जी एवं कूटरचित वसीयत स्वयं ने लिखकर स्वयं ने ही सोन्या की मृत्यु के 4–5 वर्ष पश्चात फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर तैयार कर फर्जी तरीके से अपने आपको सोन्या का दत्तक पुत्र व वसीयत धारक बताकर आराजी वादग्रस्त का नामान्तरकरण बिना जानकारी प्रार्थी तन्हा अपने नाम करा लिया जबकि उपरोक्त भूमि मनबट के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 शामलात में सोन्या की मृत्यु के पश्चात से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 ने उपरोक्त वर्णित भूमि वादग्रस्त में बने मकानात में निवास करते चले आ रहे है तथा शामिल में लगान अदा करते चले आ रहे है। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थी के नाम खोला गया नामान्तरकरण विरासत के आधार पर खोला गया था जो निरस्त हो गया था तथा प्रकरण पुनः जांच हेतु तहसीलदार बस्सी को प्रेषित किया गया था तहसीलदार बस्सी के समक्ष विचाराधीन जांच के दौरान उक्त फर्जी व बनावटी वसीयत का होना बताया जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी के हक में हुई वसीयत पूर्णतया फर्जी, कूटरचित पूर्वक तैयार की गई है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को तादौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे भूमि ख.नं. 162 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा, 133 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 138 रकबा 4बीघा 10 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम महाराजपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में प्रार्थी के कब्जे काश्त व काश्त कार्य में कोई बाधा व रुकावट पैदा न करे न प्रार्थी की काश्त को बर्बाद करें एवं न ही प्रार्थी के शामलाती मकानात, पाटोल, टीनशैड, नोहरा एवं चाह तथा बिजलीमोटर पम्प के उपयोग–उपभोग में बाधा या रुकावट पैदा न करे

contd--2

न ही भूमि वादग्रस्त का विक्रय एवं हस्तान्तरण करे न विक्रय पत्र पंजीकृत करावें तथा न ही प्रार्थी को जबरन बेदखल करने की चेष्टा करे। अप्रार्थी सं. 2 व 3 को पाबंद किया जावे कि वे भूमि वादग्रस्त के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथायत बनाये रखे तथा नामान्तकरण तस्दीक न करें। अप्रार्थी सं. 4 को पाबंद किया जावे कि वह आराजी वादग्रस्त का विक्रय पत्र पंजीकृत न करे न पंजीयन हेतु ग्रहण करे एव मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त प्रार्थना पत्र का वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि ख.नं. 133, 138, 162 ग्राम महाराजपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में मृतक सोन्या उर्फ सोहनलाल को राज्य सरकार द्वारा कृषि करने हेतु आवंटन हुई थी सोन्या के कोई आईन्दा पुत्र एवं पुत्री नहीं होने के वजह से मेरे पिता(जन्म देने वाले) रामसहाय के जीवन काल में ही परिवार जनों रिश्तेदारो, व समाज गांव पांच पटेलों के समक्ष जब मैं 5 वर्ष की आयु में था तब ही गोद सोन्या को दे दिया गया था जिसकी हिन्दु रिती रिवाज के हिसाब से पंडित के समक्ष विधिवत गोद देना व गोद लेना स्वीकार हुआ था एवं जिमण भी मेरे पिता सोहनलाल द्वारा किया गया था तब से अप्रार्थी नं. 1 भूमि पर काबिज है वं खुद काश्त खातेदार सोहनलाल की मृत्यु पश्चात से भी काबिज चला आ रहा है। उक्त भूमि में कुआ, विद्युत कनेक्शन अप्रार्थी नं. 1 ने अपने खर्चे से लगवाये है उसमें आवासीय पाटोल, नोहरा,मकानात, आदि भी अप्रार्थी नं. 1 द्वारा ही बनाये गये है। प्रार्थी रामकिशोर का कभी भी किसी प्रकार का कोई अधिकार व आधिपत्य एवं कब्जा मालिकाना हक, या कोई कृषि न हो रह है झूठा इस्तगन प्रार्थना पत्र पेश किया जो विधि व कानून के विपरीत होने व धारा 212 राज0टी0 एक्ट एवं आर्डर 39 रुल 1 व 2 सी.पी.सी. की परिभाषा में भी न ही आता है। इसी आधार पर भी खारिज किये जाने योग्य है। रामकिशोर स्ट्रेन्जर(राहगीर) हैं। कोई लोकल स्टेण्ड आई भी नहीं है। वादग्रस्त आराजी ख.नं. 133, 138, 162 ग्राम महाराजपुरा जिस पर अप्रार्थी नं. खुद काश्तकार खातेदार मालिक है उस कृषि भूमि पर श्रीमान न्यायालय अपने विवके एवं न्यायहित में यह आवश्यक है कि अप्रार्थी नं.1 को पाबंद नही किया जावे बल्कि प्रार्थी रामकिशोर को स्थायी तौर पर पाबंद करने का आदेश पारित करने की कृपा करें। एवं वाद खर्चा भी दिलवाया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील पक्षकार द्वारा लिखित बहस पेश की। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण में मूलवाद रेड जूडी केटा(प्राग न्याय सिद्वान्त) व (एस्टोपल) विबन्धन के सिद्वान्त से बाधित है तथा उपरोक्त बेसिक सिद्धान्तों से बाधित मूलवाद की टी.आई भी बाधित है इसलिए प्रार्थी रामकिशोर का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। विवादित आराजी ख.नं. 162 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा ख.नं. 133 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा ख.नं. 138 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा का जरिये(वसीय) व दत्तक पुत्र के नाते दत्तक पिता सोहनलाल की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत कचोलिया द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उपरोक्त आराजी का दिनांक 22.01.1980 को नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। अप्राथी(लालाराम) अपने दत्तक पिता सोहनलाल के जीवनकाल से अकेला उक्त आराजी पर कब्जे काश्त होकर तब से चला आ रहा है। अप्राथी(लालाराम) के हक में उक्त आराजी के नामान्तरकरण से व्यथित होकर व अप्रार्थी के ताउ(गोदूराम) उक्त नामान्तरकरण अपील की तथा उपरोक्त अपील का निस्तारण करते हुए न्यायालय तहसीलदार महोदय बस्सी ने अप्रार्थी लालाराम को दत्तक पुत्र मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा खोल गये नामान्तरकरण का विधिक निर्णित किया तथा उक्त निर्णय की पुष्टि राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर(कैम्प जयपुर) अपील संस्था 44/94/एल.आर./जयपुर दिनांक 19.03.1998 की जा चुकी है तथा प्रार्थी(रामकिशोर) उक्त नामान्तरकरण की अपील में रेस्पोडेन्ड संस्था 2/2 के रुप में पक्षकार था। यह कि पूर्व में निर्णित अपील में (सख्या 44/94/एल.आर. राजस्थान मण्डल अजमेर) दिनांक 19.03.98 तथा उपरोक्त मूलवाद/टी.आई. उसी विषय वस्तु तथा उन्ही पक्षकारों के मध्य है इसलिए विधिक प्रावधानों के अनुसार पोषणीय नहीं है। खारिज किया जावें। ऐसी सूरत में प्रार्थी(रामकिशोर) कतई स्वचछ हस्त से नही आया है यह कानून का सुस्थापित

contd--3

सिद्धात है कि जो व्यक्ति स्वच्छ हस्त से नहीं आता वह साम्यपूर्ण अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः विधिक प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। खारिज किया जावे।

वकील प्रार्थी ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 की सामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि ख.नं. 162 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा, 133 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 138 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम महाराजपुरा तह0 बस्सी जिला जयपुर में स्थित चली आ रही है। उपरोक्त आराजी प्रार्थी के ताउ सोन्या उर्फ सोहनलालके कब्जे व खातेदारी की भूमि रही है सोन्या सन् 1979 में नाऔलाद फौत हो चुका है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ही सोन्या की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के मालिक स्वामी है तथा काबिज काश्त करते चले आ रहे है उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 आपस में सगे भाई है तथा सोन्या की भूमि के बतौर वारिस मालिक हुए है। मृतक सोन्या ने कभी भी अप्रार्थी सं. 1 को गोद नहीं लिया ना ह कभी किसी के भी पक्ष में गोदनामा तस्दीक किया है क्योंकि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 सोन्या की उपरोक्त वर्णित भूमि पर हिस्सा 1/2 अर्थात् आधी–आधी भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है परंतु अप्रार्थी सं. 1 ने एक फर्जी एवं कूट रचित वसीयत लिखकर तैयार कर स्वयं ने ही मृतक सोन्या की मृत्यु 4–5 वर्ष पश्चात फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर तैयार कर फर्जी तरीके से अपने आपको सोन्या का दत्तक पुत्र व वसीयत धारक बताकर आराजी वादग्रस्त का नामान्तरकरण बिना प्रार्थी की जानकारी अपने नाम करा लिया जबकि उपरोक्त भूमि मनबट के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 शामलात में सोन्या की मृत्यु के पश्चात से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ने उपरोक्त वर्णित भूमि वादग्रस्त में बने मकानात में निवास करते चले आ रहे है तथा शामिल में ही लगान अदा करते चले आ रहे है। यहां पर यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम खोला गया पूर्व में विरासत के आधार पर नामान्तरकरण निरस्त हो गया था तथा प्रकरण पुनः जांच हेतु तहसीलदार महोदय बस्सी को प्रेषित किया गया था। तहसीलदार महोदय बस्सी के समक्ष विचाराधीन जांच के दौरान अप्रार्थी सं. 1 ने तथाकथित फर्जी व बनावट वसीयत का होना बताया इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 1 के हक में तैयार की गई तथाकथित फर्जी वसीयत पूर्णतया कूटरचित व षडयंत्र पूर्वक तैयार की गई थी। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 21.12.2017 को लिखित बहस प्रस्तुत की है जिसमें मूल वाद रेडीजूडीकेटा के सिद्धांत के बाधित बताया है लेकिन प्रार्थी/वाद ने माननीय न्यायालय के समक्ष दावा, घोषणा एवं बंटवारा बाबत् प्रस्तुत किया है उक्त सिद्धान्त यहां पर लागू नहीं होता है। यदि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया गया तो अप्रार्थी सं. 1 अपनी बेजा हरकतों में कामयाब हो जायेगा और विवादग्रस्त आराजी को विक्रय कर अन्य व्यक्तियों को स्थानान्तरण कर देगा चूंकि वर्तमान में विवादग्रस्त आराजी की कीमतें आसमान को छू रही है यदि अप्रार्थी सं. 1 अपनी बेजा हरकतों में कामयाब हो जाता है। तो प्रार्थी रामकिशोर को इतनी हानी होगी की उसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी।

अतः लिखित बहस एवं कानूनी विनिश्चय प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को तानिर्णय वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं. 1 उक्त विवादग्रस्त आराजियात को स्थानान्तरण, बेंचान नहीं करें एवं अप्रार्थी सं. 2 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह तानिर्णय वाद विवादग्रस्त आराजियात का राजस्व रिकार्ड में इंद्राज नहीं करें मौके एवं रिकार्ड की दावे के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखें।

contd--4

पत्रावली का अवलोकन एवं वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश की गयी लिखित बहस का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी सं. 1 रिकार्डेड काबिज खातेदार है तथा 25 वर्षो से कब्जाकाश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में साबित होता है। प्रार्थी जब विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार ही नही है तो उसे स्थगन आदेश प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थी सं. 1 रिकार्डेड खातेदार है वादग्रस्त भूमि का उपयोग करता चला आ रहा है। अतः सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। तथा जब अप्रार्थी रिकार्डेड काबिज खातेदार है तथा वादग्रस्त भूमि का उपयोग उपभोग भी कर रहा है ऐसी स्थिति में उसे आगे पाबंद किया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थी सं. 1 को ही होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमि के संबंध में अप्रार्थी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं समझते है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2006 को जारी स्थगन आदेश सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।

18.1.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी